

कार्यालय कलेक्टर एवम् पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपादा प्रबंधन विभाग, कोरबा (छ.ग.)

अधिसूचना

क्रमांक 2157/भू-अर्जन/2017,

कोरबा,

दिनांक 16/02/2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम

2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 अन्तर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	पोंडीउपरोड़ा	पोंडीउपरोड़ा	1.370 हे०	पोंडी-बांगो मार्ग पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 1/3/2017 को समय 12:00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन-पोंडीउपरोड़ा में नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है -

- (1) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण : पोंडी-बांगो मार्ग पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
- (2) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 11 परिवार
- (3) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 11 परिवार
- (4) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों : निरंक
की अनुमानित संख्या
- (5) प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों : निरंक
की अनुमानित संख्या
- (6) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? : हाँ
- (7) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर : हाँ
लिया गया है ?
- (8) परियोजना की कुल लागत : रु. 325.62 लाख
- (9) परियोजना से होने वाला लाभ : पोंडी-बांगो मार्ग पर सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण
हो जाने से हसदेव नदी पर निर्मित मिनीमाता बांगो
बांध परियोजना की दूरी लगभग 20 कि.मी. कम होगी
तथा लोकहित में आवागमन के लिए सुगम व सरल
रास्ता तैयार होगा.
- (10) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय : प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए
तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान
किया गया है।
- (11) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाला अन्य घटक : निरंक
उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित
तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(पी.के.मानन्द)

कलेक्टर

जिला-कोरबा

एवम् पदेन उप सचिव, छ०ग०शासन,

राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग

- 01- सचिव,छ0ग0शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 02- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित।
- 03- आयुक्त,नगर पालिक निगम कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 04- नियंत्रक,शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगाँव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
- 05- अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा को उपलब्ध करावे।
- 06- प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कोरबा को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ0ग0शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट एवं स्थानीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- 07- तहसीलदार पोड़ी उपरोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय,अनुविभाग कार्यालय, एवं नगर पालिक निगम में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करे।
- 08- सचिव,ग्राम पंचायत पोड़ी उपरोड़ा तहसील पोड़ीउपरोड़ा जिला कोरबा को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चस्पा कराने एवं मुनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करे।

(पी0दयानंद)

कलेक्टर

जिला-कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग